भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3587
दिनांक 13.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बायलर अधिनियम, 2023 के अंतर्गत पंजीकरण

3587. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव तथा गुजरात के वलसाड जिले में वर्तमान में चल रहे रासायनिक संयंत्रों, भेषज उद्योगों और फर्नेस संयंत्रों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) बायलर अधिनियम, 2023 के अंतर्गत जिला-वार कितने उद्योग पंजीकृत हैं और उनमें से कितनों ने अपना पंजीकरण नवीनीकृत कराया है/नहीं कराया है;

(ग) उक्त संघ राज्यक्षेत्र और जिले में कितने उद्योगों ने अस्थायी अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त किए हैं; और

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्रों में कुछ उद्योग वैध बायलर पंजीकरण के बिना/नवीनीकृत अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के बिना कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव प्रशासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर, उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार है:

(क):

वर्तमान में गुजरात के वलसाड जिले में कुल 924 रासायनिक संयंत्र, फर्मास्युटिकल उद्योग और फर्नेस संयंत्र

कार्यशील हैं तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में वर्तमान में 132 रासायनिक संयंत्र, फर्मास्युटिकल उद्योग और फर्नेस संयंत्र कार्यशील हैं।

(ख):

वलसाद जिले में पंजीकृत बॉयलरों की कुल संख्या 534 है। 121 बॉयलरों के प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण नहीं किया गया क्योंकि कंपनियां बंद हो गईं या उत्पादन कार्य रुक गया। शेष 413 बॉयलर अभी भी चालू हैं और उनके प्रमाणपत्र समय-समय पर नवीनीकृत किए जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली में कुल 146 बॉयलर पंजीकृत और कार्यशील हैं।

(ग):

संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली में कुल 3057 उद्योगों ने अग्नि सुरक्षा संबंधी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। गुजरात के संबंध में, उद्योगों को राज्य में संबंधित नियमों के अनुसार अलग से अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करते समय उद्योगों के लिए अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।

(घ):

वलसाड जिले में कुल 16 अपंजीकृत बॉयलरों की पहचान की गई थी। इनमें से 7 बॉयलर फाउंडेशन से हटा दिए गए, जबकि एक बॉयलर को संबंधित विनियमों के अनुरूप विकसित बॉयलर से बदल दिया गया और उसे गुजरात सरकार के बॉयलर निदेशालय में पंजीकृत कराया गया। शेष 8 बॉयलरों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए, क्योंकि वे बॉयलर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में कोई भी उद्योग बॉयलर पंजीकरण के बिना संचालित नहीं हो रहा है।
